संख्या-46/2022/81 /23-9-2022-08नाबार्ड(स0मा0)/2018टी0सी0

प्रेषक,

प्रभुनाथ,

विशेष सचिव,

उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,

ललितपुर, बहराइच, वाराणसी व बस्ती ।

लोक निर्माण अनुभाग-9 लखनऊ : दिनांक 30 मार्च, 2022

विषय- वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान सं0-83 के अन्तर्गत नाबार्ड वित्त पोषित आर0आई0डी0एफ0 योजना के अन्तर्गत सम्पर्क मार्ग के चालू कार्यो हेतु धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महादेय,

उपर्युक्त विषयक जिलाधिकारी, ललितपुर के पत्र संख्या-47/1सी/6डी, दिनांक 17.01.2022, जिलाधिकारी, बहराइच का पत्र संख्या-3929/1ए-10, दिनांक 30.12.2021, जिलाधिकारी, बस्ती के पत्र संख्या-2619/13ए, दिनांक 23.10.2021 एवं जिलाधिकारी, वाराणसी के पत्र संख्या-1149/1सीबी, दिनांक 20.07.2021 एवं पत्र संख्या-101/1सी0बी0, दिनांक 20.01.2022 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत आर0आई0डी0एफ0 योजनान्तर्गत निम्नलिखित तालिका के स्तम्भ-4 में उल्लिखित शासनादेश द्वारा स्वीकृत जनपद ललितपुर, बहराइच, वाराणसी व बस्ती के 04 चालू कार्यों हेतु तालिका के स्तम्भ-11 के अनुसार रू0 1,76,27,000/- (रूपये एक करोड़ छियत्तर लाख सत्ताइस हजार मात्र) अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र0 सं0	जनपद का नाम	कार्य का नाम	शासनादेश संख्या	स्वीकृत लम्बाई (कि0 मी0 में)	स्वीकृत लागत	बचत की धनराशि	बचत की धनराशि के उपरान्त कार्य की कुल लागत	अब तक आवंटन	आवंटन हेतु देय अवशेष	वित्तीय वर्ष 2021-22 में अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ललित पुर	सारसेड़ बलरगुवां मार्ग के किमी 2 से दांये ग्राम चौबारा का मजरा भुजरया सम्पर्क मार्ग का निर्माण	74/2020/ 425/23-9-2020-12नाबार्ड (स0मा0)/ 2019टी0सी0,दि0 27.03.2020	1.45	65.97	12.02	53.95	22.95	31.00	31.00

क्रमशः.....

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

क्र0 सं0	जनपद का नाम	कार्य का नाम	शासनादेश संख्या	स्वीकृत लम्बाई (कि0 मी0 में)	स्वीकृत लागत	बचत की धनराशि	बचत की धनराशि के उपरान्त कार्य की कुल लागत	अब तक आवंटन	आवंटन हेतु देय अवशेष	वित्तीय वर्ष 2021-22 में अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	बहराइच	एन0एच0-730 के कि0मी0 195 से बायें उर्रा-धननगर से गोलहना सम्पर्क मार्ग के कि0मी0-1 से भगवान नगर (नयापुरवा) सम्पर्क मार्ग	65/2020/ 288/23-9-2020-12नाबार्ड (स0मा0)/ 2019टी0सी0,दि0 19.03.2020	2.000	130.16	1.51	128.65	58.57	70.08	70.08
3	वाराणसी	विकास खण्ड बड़ागांव में राजस्व ग्राम साधोगंज अनेई मार्ग ओ)0डी0आर0) के कि0मी0-4.4 से राजस्व ग्राम खरावन तक सम्पर्क मार्ग के नवनिर्माण का कार्य।	65/2020/ 288/23-9-2020-12नाबार्ड (स0मा0)/ 2019टी0सी0,दि0 19.03.2020	1.600	51.03	0.00	51.03	22.96	28.07	28.07
4	बस्ती	लुम्बनी दुद्धी मार्ग (रा0मा0) कि0मी0 89 चै. 400 में बांये से गौरा-धमौरा मार्ग कि0मी0 1 चै 900 से बायें से पाण्डेयपुरवा होते हुये दक्षिण पुरवा लोहारपुरवा मार्ग का निर्माण कार्य।	65/2020/ 288/23-9-2020-12नाबार्ड (स0मा0)/ 2019टी0सी0,दि0 19.03.2020	1.700	103.43	9.77	93.66	46.54	47.12	47.12
			कुल योग-	**6.75**	**350.59**	**23.3**	**327.29**	**151.02**	**176.27**	**176.27**

2- उक्त धनराशि केवल उल्लिखित परियोजना पर ही मानक एवं विशिष्टियों के अनुरूप व्यय की जायेगी तथा इसका उपयोग अन्य किसी प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।

क्रमशः.....

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- नाबार्ड योजनान्तर्गत निर्माणाधीन मार्गों के गुणवत्तायुक्त निर्माण की प्रगति की नियमित समीक्षा कर निर्धारित समयान्तर्गत पूर्ण किया जाय तथा समीक्षा रिपोर्ट एवं गुणवत्तायुक्त पूर्णता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराया जाय।

4- विभाग द्वारा प्रश्नगत परियोजना पर धनराशि नाबार्ड की शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए व्यय की जायेगी तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप पर उपलब्ध कराया जाय।

5- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22 मार्च, 2021 में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय ।

6- उक्त तालिका के स्तम्भ-4 में उल्लिखित शासनादेशों की शेष शर्ते यथावत रहेंगी।

7- इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय-04-जिला तथा अन्य सड़कें-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-27-कृषि विपणन सुविधाओं हेतु ग्रामीण सम्पर्क मार्गो/लघु सेतुओं के चालू कार्यो हेतु एकमुश्त व्यवस्था (नाबार्ड पोषित) (जिला योजना)-00-24-वृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

8- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22 मार्च, 2021 में प्राविधानित अधिकारों के अंतर्गत जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(प्रभुनाथ)
विशेष सचिव

क्रमशः....

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या उपरोक्त एवं तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार, प्रथम (निर्माण), उ0प्र0 प्रयागराज / संबंधित मण्डलायुक्त ।

2- महाप्रबन्धक, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, उ0प्र0 क्षेत्रीय कार्यालय, 11 विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।

3- नोडल अधिकारी, बजट आवंटन प्रणाली, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0शासन ।

4- प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

5- मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ /वित्त नियंत्रक, लो0नि0वि0, लखनऊ ।

6- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8/वित्त (आय-व्ययक), अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन।

7- बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0शासन ।

8- संबंधित अधिशासी अभियन्ता /कोषाधिकारी ।

9- लोक निर्माण अनुभाग-10।

10- गार्डफाइल।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।